कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

//विविध आदेश//

क्र. 61 /एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू./2020 बुरहानपुर, दिनांक–04.06.2021

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ/35–09/20/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 20.04.2021 तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के पत्र कमांक–एफ 35–09/2020/दो/सी–2 भोपाल दिनांक–29 मई 2021 के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी, कोरोना जन अनुशासन आदेश क. 3021, दिनांक 31.05.2021 तथा माननीय रजिस्ट्री के एस.ओ.पी कमांक ए/113, दिनांक 15.01.2021, अतिरिक्त एस.ओ.पी क. ए/1149 दिनांक 03. 04.2021, एवं अधीनस्थ न्यायालय हेतु जारी अति. एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 को दृष्टिगत रखते हुए, इस कार्यालय के परिपत्र कमांक–2/एक–15–7/15/एस0डब्ल्यू0/2020 बुरहानपुर दि0–22.04.2021 की कंडिका–1 में पुनः संशोधन करते हुए कार्यालयीन विविध आदेश क0–58(1)/एक–15–7/15 दि0–31.05.2021 जारी करते हुए न्यायालयों द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों में अण्डर ट्रायल, निर्धारित समयावधि में निराकृत किये जाने योग्य प्रकरण तथा पुराने प्रकरण संयोजित किये गये थे, अतः इनके आगे निम्नलिखित सुनवायी योग्य प्रकरणों को संयोजित किया जाता हैः–

(1) किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित मामलों की सुनवायी निर्धारित दिनांक व समय पर प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा, कोविड–19 के संक्रमण से सुरक्षा के संबंधित समस्त उपायों की प्रतिपूर्ति करते हुए की जायेगी।

(2) धारा–125 एवं 128 दं0प्र0सं0, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दांडिक अपील, पुनरीक्षण याचिका, महिलाओं तथा वृद्धजनों से संबंधित वे प्रकरण जिनमें वे आवेदक/फरियादी हैं, नियमित सुनवायी में रखे जायेंगे और ऐसे मामलों की सुनवायी वी0सी0 के माध्यम से की जायेगी।

(3) ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें राजीनामा पेश किया जा रहा हो, वे भी सुनवायी में लिये जा सकेंगे।

(4) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पारिवारिक (वैवाहिक विवाद), सिविल अपील, विविध अपील, मोटर दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति प्रकरण, जिनमें साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता न हो, ऐसे मामले भी वीसी के माध्यम से सुने जा सकेंगे।

उक्त परिपत्र कमांक–2/एक–15–7/15/एस0डब्ल्यू0/2020 बुरहानपुर दि0–22.04. 2021 की कंडिका–6 में न्यायालयीन/कार्यालयीन समय निर्धारित किया गया था, पुनः उसमें विविध आदेश क0–58(1)/एक–15–7/15 दि0–31.05.2021 के माध्यम से भी संशोधन किया गया था, जिसके स्थान पर अब प्रत्येक न्यायालय/अनुभाग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अनुसार संचालित रहेंगे।

उक्त परिपत्र कमांक–2/एक–15–7/15/एस0डब्ल्यू0/2020 बुरहानपुर दि0–22.04. 2021 की कंडिका–6 में उपस्थित होने वाले कर्मचारीगण की संख्या से संबंधित निर्देश प्रसारित किये गये थे और विविध आदेश क0– 58(1), दि0–31.05.2021 में भी संशोधन किया गया था, जिसे संशोधित करते हुए यह निर्देश प्रसारित किये जाते हैं कि चूंकि न्यायालयीन कार्य अत्यावश्यक कार्यों की श्रेणी में आता है, इसलिये दिनांक–07.06.2021 से 100% (शत–प्रतिशत) कर्मचारी पूर्ण न्यायालयीन/ कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहेंगे।

लंबित प्रत्येक प्रारंभिक/विभागीय जांच कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा।

नोटः– कोविड–19 की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, इसलिये समस्त न्यायालय, इस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक कार्य दिवस में सीमित संख्या में उतने ही प्रकरण नियत करे, जिनमें कि सुनवायी सहजता से की जा सके और कम समय के भीतर सहजता से अनावश्यक भीड़ एकत्र किये बिना सुनवायी पूर्ण की जा सके।

यह आदेश दिनांक–15.06.2021 एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

संलग्नः– परिपत्र क0–02 दि0–22.4.21 एवं
विविध आदेश क0–58 दि0–31.05.21

4/6/21

वास्ते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

पृ. क्र693/एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू/2020 बुरहानपुर, दि. 04.06.2021

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) समस्त न्यायालय एवं अनुभाग तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर/तहसील न्यायालय नेपानगर, बुरहानपुर

(3) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

(4) तदर्थ समिति, अधिवक्ता, बुरहानपुर

(5) लोक अभियोजक/जिला अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर

(6) जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर

(7) पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर

(8) सी.एम.ओ. जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर

(9) जेल अधीक्षक, जिला जेल खंडवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(10) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, समस्त संबंधितों को उनकी ई–मेल आई.डी./व्हाटसअप के माध्यम से सूचित करें।

(11) आफिस मोहर्रिर कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय, बुरहानपुर

(12) जिला नाजिर की ओर 03 प्रतियां, विभिन्न सूचना–पटल पर चस्पा करने हेतु एवं समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संसूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।

4.6.21

वास्ते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश

बुरहानपुर